शिक्षक ऐसा हो!

जितेन्द्र कुमार पाटीदार*

वैश्वीकरण, सार्वजनीकरण एवं निजीकरण के इस युग में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा प्राय: जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त चलती रहती है। बालक की शिक्षा पारिवारिक वातावरण से प्रारंभ हो जाती है परंतु औपचारिक शिक्षा की प्रक्रिया विद्यालय में चलती है जिसके द्वारा हर बालक को भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है। जीवन निर्माण की इस प्रक्रिया में एक रचनाकार या निमार्णकर्ता के रूप में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षा के क्षेत्र में आज नवीन चुनौतियाँ उभरकर सामने आ रही हैं। इन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षकों की तैयारी में बदलाव लाने की ज़रूरत है। शिक्षा के बदलते स्वरूप के संदर्भ में एक भावी शिक्षक में मुख्य रूप से जो कौशल व योग्यताएँ होनी चाहिए, उन्हीं की चर्चा इस लेख में की गई है।

यद्यपि 1960 के दशक से ही शिक्षकों की पेशेवर तैयारी को अत्यावश्यक माना जाता रहा है, लेकिन इसका ज़मीनी यथार्थ सोचनीय है। कोठारी आयोग (1964-66) ने इस पर ज़ोर दिया है कि शिक्षक की शिक्षा को अकादमिक जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन शिक्षा संस्थान अभी तक संकीर्णता से बाहर नहीं निकल पाए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग (1983) ने शिक्षकों की शिक्षा के लिए अनुशंसा की थी कि किसी भी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए विद्यार्थी-शिक्षक को आधारभूत कौशलों एवं क्षमताओं को अर्जित करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे–विद्यार्थियों की प्रबल क्षमताओं का ध्यान रखते हुए कक्षा प्रबंधन की क्षमता, तार्किक एवं स्पष्ट विचारों का

* *सहायक प्राध्यापक*, अध्यापक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

संप्रेषण, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध तकनीकी की उपयोगिता, कक्षा के बाहर के शैक्षिक अनुभवों से शिक्षित करना, समुदाय के साथ काम करना सीखना और विद्यार्थियों की मदद करना आदि। इसके साथ ही, शिक्षक शिक्षा के लिए विद्यार्थी-शिक्षकों का चयन करने हेतु निम्न घटकों का ध्यान रखने का सुझाव भी दिया -

(क) शारीरिक रूप से स्वस्थ हो,

(ख) भाषिक योग्यता एवं संप्रेषण कौशल,

(ग) सामान्य मानसिक योग्यता,

(घ) सामान्य रूप से संसार की जानकारी हो,

(ड) जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो,

(च) अच्छे मानवीय संबंध विकसित करने की क्षमता।

आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि शिक्षकों की भूमिका से संबंधित विभिन्न कौशलों को सीखना, जिसमें शैक्षिक तकनीकी एवं सॉफ्टवेयर तैयार करना भी है। विद्यार्थी-शिक्षकों को, कौशलों के उपयोग में दक्ष होना चाहिए तथा सहपाठियों में भी यह क्षमता विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। विशेषकर, शैक्षिक तकनीकी (ICT) के हार्डवेयरों के रख-रखाव में दक्ष होना चाहिए तथा उन्हें सॉफ्टवेयरों के लिए उपलब्ध स्रोतों की जानकारी भी होनी चाहिए। शिक्षा संस्थानों को उनके विद्यार्थी-शिक्षकों को पाठ्य-सहगामी गतिविधियों की योजना एवं संगठन के कौशल विकसित करने वाली कार्यशालाएँ आयोजित करनी चाहिए या विद्यार्थी-शिक्षकों को कार्यशालाओं में सहभागी के रूप में भेजना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/स्थानीय नाटक विद्यालयों एवं फिल्म संस्थानों की सहायता ले सकते हैं।

शैक्षिक/व्यावसायिक तैयारी के लिए जैसे-शिक्षणशास्त्र, कौशलों का विकास जिसमें कहानी-कथन, पठन, श्यामपट्ट पर लिखना, नयी तकनीकी जैसे-कंप्यूटर, एल. सी. डी., दृश्य-श्रृव्य उपकरण, मॉडल आदि का उपयोग करना महत्त्वपूर्ण है। कला, संगीत, नृत्य एवं क्राफ़्ट पर भी अनिवार्य रूप से ध्यान देने, भाषा एवं संप्रेषण में विशेष दक्षता तथा मूल्यों पर पर्याप्त ज़ोर दिए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 पर पुनर्विचार समिति-1990 ने शिक्षकों को तैयार करने के अनेक सुझाव दिए। जिनमें प्रमुख रूप से शिक्षा के क्रियात्मक कौशलों एवं ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष के सभी पहलुओं का ज्ञान प्रदान करने की क्षमता विकसित करना, स्तरीकृत समाज में शिक्षा की भूमिका की समझ तथा इस भूमिका का क्रियात्मक अर्थ प्रदान करने की योग्यता विकसित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तिगत लक्षण भी होने चाहिए-

(क) स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने एवं सोचने की योग्यता,

(ख) प्रचलन के विरुद्ध या लोकप्रिय मतानुसार कार्य करने की योग्यता,

(ग) उत्प्रेरक एवं समझदार लोगों के साथ कार्य करने की योग्यता,

(घ) समझ एवं अनुभव के आधार पर नेतृत्व करने की क्षमता,

(ङ) सृजनात्मकता एवं स्थिर क्रिया के लिए योग्यता,

(च) मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों को संगठित करने की योग्यता,

(छ) समाज एवं शासन के विभिन्न विभागों के साथ कार्य करने की योग्यता,

(ज) उपलब्धि के लिए उच्च अभिप्रेरणात्मक आवश्यकताएँ होना,

(झ) उपलब्धि की इच्छा एवं प्रतिकूल स्थितियों में कार्य करने की योग्यता,

(ञ) उत्तरदायित्व स्वीकारने एवं ज़िम्मेदारियों को समझने की इच्छाशक्ति तथा उच्च अंतर्वैयक्तिक कौशल।

यशपाल समिति की रिपोर्ट(1993), 'शिक्षा बिना बोझ के' में कहा गया है, 'इन कार्यक्रमों में ज़ोर इस पर हो कि विद्यार्थी-शिक्षकों में स्व-अधिगम और स्वतंत्र-चिंतन का विकास हो सके।'

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 (NCF-2005) में भी शिक्षकों के लिए आवश्यक तैयारी हेतु निम्न सुझाव दिए गए हैं-

(क) शिक्षकों की ऐसी तैयारी ज़रूरी है कि वे विद्यार्थियों का ध्यान रख सकें और उनके साथ रहना पसंद करें।

(ख) सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों में विद्यार्थियों को समझ सकें।

(ग) ग्रहणशील और निरंतर सीखने वाले हों।

(घ) शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों की सार्थकता की खोज के रूप में देखें तथा ज्ञाननिर्माण को मननशील अधिगम की लगातार उभरती प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें।

(ड.) ज्ञान को पाठ्यपुस्तकों के बाह्य ज्ञान के रूप में न देखकर साझा संदर्भों और व्यक्तिगत संदर्भों में उसके निर्माण को देखें।

(च) समाज के प्रति अपना दायित्व समझें और, बेहतर विश्व के लिए काम करें।

(छ) उत्पादक कार्य के महत्त्व को समझें तथा कक्षा के बाहर और अंदर व्यावहारिक अनुभव देने के लिए कार्य को शिक्षण का माध्यम बनाएँ।

(ज) पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उसके नीतिगत-निहितार्थ एवं पाठों का विश्लेषण करें।

21 वीं शताब्दीं के शिक्षकों में वैश्वीकरण, सार्वजनीकरण, निजीकरण तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक संदर्भों के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कई कौशलों की आवश्यकता होगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार शिक्षक को विद्यालय में अपनी उपस्थिति और नियमितता बनाए रखनी होगी। पूरी पाठ्यचर्या को निर्धारित समय में पूरा करना होगा। प्रत्येक बच्चे की अधिगम योग्यता का आकलन करना होगा और उसी के अनुसार आवश्यक निर्देश देने होंगे। शिक्षक को अभिभावकों से नियमित बैठकें करनी होंगी और अभिभावकों को उनके बच्चों की उपस्थिति में नियमितता, सीखने की योग्यता,

सीखने में की गई प्रगति और बच्चे के बारे में किसी भी अन्य सार्थक सूचना से अवगत कराना होगा।

साथ ही, विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन यह संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में विद्यालयों में आरंभिक शिक्षा ले रहे बच्चों के शिक्षक को नया रूप लेना होगा। उसे समझना होगा कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग है और अपनी गति से सीखता है। प्रत्येक बच्चे की शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने का उत्तरदायित्व उसके कंधों पर है। किसी भी कक्षा में, वर्ष में किसी भी समय बच्चे का प्रवेश और उस बच्चे को अन्य बच्चों के समकक्ष ले जाना उस शिक्षक के लिए चुनौती होगी। साथ ही, अधिगम परिस्थितियों के निर्माण के क्षेत्र में कई लोगों की भागीदारी होने से शिक्षकों की नयी दक्षताओं की माँग बढ़ गई है, ताकि उनसे सार्थक ढंग से मदद ली जा सके। उन्हें यह सोचना है कि इन कौशलों एवं योग्यताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण या अनुभव से कैसे जोड़ या बढ़ा सकते हैं। यदि वे निरन्तर अपना विकास एवं कौशलों की वृद्धि करेंगे तो आपको शैक्षिक/व्यावसायिक वृद्धि हेतु बहुत अवसर मिलेंगे। इसलिए उन्हें कार्यस्थल में सफलता के आवश्यक विभिन्न कौशलों के बारे में अधिक सीखना होगा।

कौशल एवं योग्यताएँ

प्रत्येक व्यक्ति में कौशल एवं योग्यताएँ होती है। कुछ व्यक्तियों में विलक्षण प्रतिभा एवं अभिक्षमताएँ होती हैं, जिसमें संगीत योग्यताएँ (वाद्ययंत्र बजाना, संगीत तैयार करना एवं गाना आदि), कलात्मक कौशल (चित्रकला, मूर्तिकला एवं शिल्पकला आदि), खेलकूद कौशल (खेलना, कूदना एवं दौड़ना आदि), सामाजिक कौशल (नेतृत्व करना, समूह में कार्य करना एवं प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों में ज़िम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करना आदि) या अन्य कई योग्यताएँ जो प्राकृतिक या सामान्य रूप से विकसित हो जाती हैं। कुछ कौशल एवं योग्यताओं का हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, जैसे–नया विडियो/मोबाइल गेम सीखना, कंप्यूटर एवं अन्य घरेलू उपकरण सुधारना, मित्रों की समस्याएँ सुनना तथा उचित समाधान हेतु निर्णय लेना आदि।

कुछ बहुत ही विशिष्ट एवं अलग तरह के कार्य होते हैं, जैसे–प्रभावी शिक्षण हेतु नवीन शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री का उपयोग करना सीखना, मूल्यांकन की नवीन विधियाँ सीखना, अद्यतन जानकारी एवं प्रभावी शिक्षण हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करना, नए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीखना एवं बजट का प्रबंधन करने के लिए वित्तीय नियमों की व्याख्या करना आदि।

अतः, उक्त अध्ययन के आधार पर भावी शिक्षकों में जो कौशल एवं योग्यताएँ होनी चाहिए, उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। इन दो भागों को भी अलग-अलग भागों में वर्गीकृत कर विस्तृत व्याख्या की गई है जिसे फ्लोचार्ट में दर्शाया गया है।

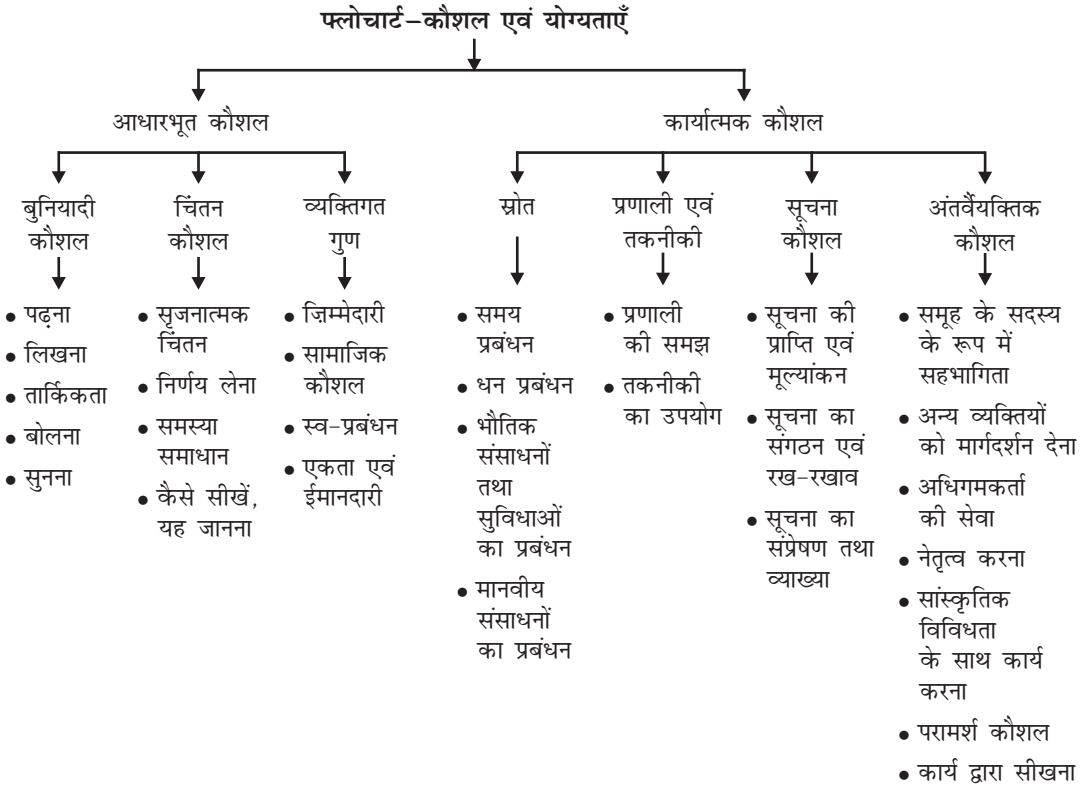

(1) आधारभूत कौशल–शिक्षकों के लिए आवश्यक कौशल, इन्हें स्थानांतरणीय कौशल भी कहते हैं।

(2) कार्यात्मक कौशल–शिक्षक के कार्य से संबंधित विशिष्ट कार्यात्मक कौशल।

आधारभूत कौशल

(1) बुनियादी कौशल

(क) पढ़ना–किताबों, रिपोर्टों, दिशा-निर्देशों आदि में लिखित सूचनाओं को पहचानना, समझना तथा व्याख्या करना। लिखित सूचना के मुख्य संदेश या मुख्य विचार पर निर्णय लेना सीखना।

(ख) लिखना–चिंतन, विचार, सूचना एवं संदेशों को लिखित में संप्रेषित करना। अधिगमकर्ता, उद्देश्य एवं विषयवस्तु के अनुसार उपयुक्त भाषा, शैली, संरचना तथा निर्धारित प्रारूप में पत्र, रिपोर्ट, प्रस्ताव, ग्राफ़, फ्लोचार्ट, दिशा-निर्देश, निर्देशिका आदि लिखना।

(ग) तार्किकता–बुनियादी गणनाओं में आधारभूत संकल्पनाओं का उपयोग करना जैसे– प्रायोगिक स्थिति में पूर्णांक तथा प्रतिशतांक। मात्रात्मक सूचना को समझने के लिए सारणी, ग्राफ़, आरेख, चार्ट आदि का प्रयोग करना।

(घ) *बोलना*–परिस्थिति एवं सुनने वालों के अनुसार उपयुक्त संगठित विचारों का मौखिक संप्रेषण करना। सहभागी के रूप में समूह प्रस्तुतीकरण, विचार–विमर्श तथा चर्चा में स्पष्ट बोलना।

(ङ) *सुनना*–सावधानीपूर्वक सुनना एवं समझना तथा सुनने वालों को उचित प्रतिपुष्टि देना। स्वीकारने, व्याख्या करने तथा प्रतिक्रिया व्यक्त करने में वाचिक संदेशों के साथ शारीरिक भाषा (हाव–भाव) का उपयोग करना।

(2) चिंतन कौशल

(क) *सृजनात्मक चिंतन*–मुक्त चिंतन करना, नए तरीके से सूचनाओं या विचारों को जोड़ना, अलग–अलग विचारों के मध्य संबंध बनाना तथा नवीन संभावनाओं को प्रकट करने में उद्देश्यों का पुनर्निधारण करना।

(ख) *निर्णय लेना*–विशिष्ट उद्देश्यों एवं प्रतिबंधों का निर्धारण करना, विकल्पों का निर्माण करना, जोख़िम समझना, अच्छे विकल्प का चयन एवं मूल्यांकन करना।

(ग) *समस्या समाधान*–समस्या उत्पन्न होने के कारणों को पहचानना, समस्या के समाधान के लिए संभावित कारणों की पहचान कर योजना बनाना तथा उसका क्रियान्वयन करना। योजना के क्रियान्वयन की प्रगति को मॉनीटर कर मूल्यांकन करना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर योजना पर पुनर्विचार करना।

(घ) *कैसे सीखें, यह जानना*–एक समान तथा अलग–अलग परिस्थितियों में नए ज्ञान एवं कौशलों का उपयोग करना तथा सीखना एवं गलत अवधारणाओं के प्रति जागरूक रहना अन्यथा वह गलत परिणाम दे सकती हैं।

(3) व्यक्तिगत गुण

(क) *ज़िम्मेदारी*–लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयत्न करना, उत्कृष्ट स्तर का कार्य करना, पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करना, दिए गए अरुचिकर कार्य को भी अच्छा करना, उच्च स्तर की एकाग्रता का गुण प्रदर्शित करना।

(ख) *सामाजिक कौशल*–समूह में समझदारी, बंधुत्व, सहमति, विनम्रता एवं तादात्म्य का परिचय देना, स्वयं द्वारा अच्छी एवं बुरी सामाजिक परिस्थितियों में आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार करना, दूसरों से अच्छे संबंध स्थापित करना, उचित प्रतिक्रिया देना, लोग क्या कहेंगे? इस बात पर ध्यान न देकर रुचिपूर्वक कार्य करना।

(ग) *स्व–प्रबंधन*–स्वयं के ज्ञान, कौशल एवं योग्यताओं का सही आकलन करना, स्पष्ट एवं वास्तविक व्यक्तिगत लक्ष्य होना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रगति को मॉनीटर करना तथा स्वयं को लक्ष्य की उपलब्धि पर अभिप्रेरित करना, स्व–नियंत्रण प्रदर्शित करना तथा प्रतिपुष्टि पर बिना भाव के प्रतिक्रिया व्यक्त करना, स्वयं शुरुआत करने वाला बनना।

(घ) *एकता एवं ईमानदारी*–विश्वास होना, निर्णय लेने में आने वाली समस्याओं का सामना करना, सामाजिक एवं व्यक्तिगत मूल्यों को सामान्यतः कार्य के अनुसार बनाए रखना, संगठन, स्वयं तथा अन्यों के प्रति नियम एवं विश्वास की समझ होना, कार्य के लिए नैतिकता का चयन करना।

कार्यात्मक कौशल

(1) स्रोत

(क) *समय प्रबंधन*–महत्वपूर्ण तथा लक्ष्य से संबंधित गतिविधियों का चयन करना, उन्हें महत्ता के अनुसार क्रम प्रदान करना तथा गतिविधियों का समय निर्धारण करना।

(ख) *धन प्रबंधन*–योजनानुसार बजट तैयार करना व उपयोग करना, बजट में दर्शायी गईं मदों के अनुसार धन व्यय करना तथा मॉनीटर करना, बजट निष्पादन एवं उचित समायोजन के सभी दस्तावेज़ रखना।

(ग) *भौतिक संसाधनों तथा सुविधाओं का प्रबंधन*–भौतिक संसाधनों तथा सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करना तथा उनकी प्राप्ति, संग्रहण एवं वितरण उचित ढंग से करना।

(घ) *मानवीय संसाधनों का प्रबंधन*–शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल, योग्यता एवं क्षमता का आकलन करना, वर्तमान तथा भविष्य के कार्यभार को पहचानना, व्यक्तिगत प्रतिभा एवं कार्यभार के मध्य प्रभावी संबंध बनाना, निष्पादन को मॉनीटर करना एवं प्रतिपुष्टि प्रदान करना।

(2) प्रणाली एवं तकनीकी

(क) *प्रणाली की समझ*–यह जानना कि शैक्षणिक, संस्थागत, सामाजिक एवं तकनीकी प्रणाली कैसे कार्य करती है, तथा उनका प्रभावी संचालन। सेवाओं, उन्नति तथा प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव देना तथा गुणवत्ता नियंत्रण एवं सुधार हेतु वैकल्पिक या नवीन प्रणाली का विकास करना।

(ख) *तकनीकी का उपयोग*–वांछनीय परिणामों की प्राप्ति के लिए कौन-सी मशीन/उपकरण या प्रक्रिया उपयुक्त होगी, इसका अनुमान लगाना। मशीन के संचालन के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया के साथ कंप्यूटर एवं उसकी प्रोग्रामिंग तथा उद्देश्यों को समझना। कंप्यूटर, मशीन या अन्य तकनीकी की सुरक्षा तथा चिह्नित समस्याओं का समाधान करना।

(3) सूचना कौशल

(क) *सूचना की प्राप्ति एवं मूल्यांकन*–तथ्यों के लिए आवश्यकता की पहचान करना, अस्तित्व में है। उन स्रोतों से या नवीन स्रोतों से तथ्य प्राप्त करना तथा उनकी शुद्धता एवं प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना।

(ख) *सूचना का संगठन एवं रख-रखाव*–सूचना को लिखित या कम्प्यूटराइज़ रिकॉर्ड एवं अन्य तरीके से व्यवस्थित रखना तथा संगठित करना।

(ग) *सूचना का संप्रेषण तथा व्याख्या*–चयनित तथा विश्लेषित सूचना एवं परिणामों को मौखिक, लिखित, ग्राफिक, चित्रात्मक तथा मल्टीमीडिया विधि से अन्य लोगों के उपयोग हेतु संप्रेषित करना।

(4) अंतर्वैयक्तिक कौशल

(क) *समूह के सदस्य के रूप में सहभागिता*–सामूहिक प्रयासों में अपने विचार, सुझाव तथा प्रयासों से सहयोग देना तथा अन्यों के साथ मिलकर कार्य करना। समूह के लाभ के लिए निश्चय करना तथा लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी लेना।

(ख) *अन्य व्यक्तियों को मार्गदर्शन देना*–आवश्यक सूचना तथा कौशल प्राप्त करने में अन्य लोगों की मदद करना। आवश्यक प्रशिक्षण की पहचान करना तथा अन्य लोगों की मदद हेतु आवश्यक सूचना प्रदान करना, जो उनके कार्य के लिए प्रासंगिक तथा उपयोगी हो।

(ग) *अधिगमकर्ता की सेवा*–अधिगमकर्ता की अपेक्षा को संतुष्ट करने के लिए उनके साथ काम करना, अधिगमकर्ता की बात ध्यानपूर्वक सुनना, उनकी गलत धारणा को दूर करना एवं उनकी आवश्यकताएँ पहचानना, विशेषकर विवाद या शिकायत की स्थिति में सकारात्मक तरीके से समाधान करना।

(घ) *नेतृत्व करना*–अपने चिंतन, विचार व अनुभव के आधार पर पद के प्रति न्याय करना, समूह या व्यक्ति को अभिप्रेरित करना तथा विश्वास कराना, वर्तमान में चल रही नीतियों एवं प्रक्रियाओं की चुनौतियों की ज़िम्मेदारी लेना।

(ङ) *सांस्कृतिक विविधता के साथ कार्य करना*–पुरुषों एवं महिलाओं के साथ अच्छा कार्य करना, क्योंकि वह विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि के होते हैं। व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर प्रभावी बनना, न कि दृढ़ बनना।

(च) *परामर्श कौशल*–परामर्श के कौशल और क्षमताओं का विकास करना ताकि विद्यार्थियों की शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का समाधान सुझाने में सहायता कर सकें।

(छ) *कार्य द्वारा सीखना*–कार्य के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान, विविध मूल्यों और विविध कौशलों के विकास के साथ किस प्रकार प्राप्त होता है? इसकी शिक्षा देना सीखना।

उपसंहार

विद्यालयी शिक्षा में हम शिक्षक से सदा से ही बहुत–सी अपेक्षाएँ रखते आए हैं। शिक्षा से संबंधी विभिन्न आयोगों और समितियों ने शैक्षिक सुधार का ज़्यादा से ज़्यादा दायित्व शिक्षकों और शिक्षकों को तैयार करने वाली संस्थाओं पर डाला है। परन्तु चिंता का विषय यह है कि इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में होते हुए भी आज का शिक्षक अपने

कर्मक्षेत्र में अपनी उपस्थिति और कर्मठता से परिवर्तन नहीं ला पा रहा है। पिछले कई दशकों से हमने शिक्षकों पर से अपना विश्वास तो खोया ही है साथ ही शिक्षक भी व्यवस्थागत परिवर्तन के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाए हैं। जब इस स्थिति का हम विश्लेषण करते हैं तो निम्नलिखित कारण दिखाई देते हैं-

1. शिक्षकों की तैयारी नयी पाठ्यचर्या के प्रकाश में न होना — इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्कूली पाठ्यचर्या में परिवर्तन और शिक्षक-शिक्षा में परिवर्तन के बीच गहरा संबंध है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। परंतु हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस पहलू और इसके लिए किए गए प्रयासों में कमी है। राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली पाठ्यचर्या की रूपरेखा के साथ शिक्षक-शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा का भी निर्माण किया जाता है, परंतु राज्यों द्वारा इसे लागू करने में लंबा समय लग जाता है और तब नए परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में नयी ज़रूरतें सामने आ जाती हैं। इस प्रकार पूर्व सेवा शिक्षक-शिक्षा तथा सेवारत शिक्षक-शिक्षा दोनों ही पिछले कई दशकों से कई राज्यों में पारंपरिक ढंग से ही दी जा रही हैं। यदि परिवर्तन है भी तो कुछेक प्रश्नपत्रों (कोर्स) में, न कि पूरे उपागम में।

2. शिक्षक-प्रशिक्षकों का पुनर्अभिमुखिकरण न होना — यह भी एक चिंता का विषय है। शिक्षकों की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ज्यादा संख्या में शिक्षक-प्रशिक्षक शैक्षिक परिवर्तनों से अनभिज्ञ रहते हैं। इसका कारण है उनके अभिमुखीकरण की एक निरंतर व्यवस्था का न होना। कुछ शैक्षिक संस्थाएँ पहल कर यह कार्य करती भी हैं तो उनका प्रबोधन न होने के कारण इन प्रयत्नों का प्रभाव नहीं दिखता।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि आज शिक्षा में हमारे प्रयासों का केंद्र बिंदु होना चाहिए 'शिक्षक की तैयारी'। उसमें ऐसे कौशल विकसित किए जाने चाहिए ताकि वह शिक्षा के अधिकार, माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण आदि से पनपती नित नयी चुनौतियों का बखूबी सामना कर सके।

संदर्भ

एन.सी.टी.ई., 1988, *पॉलिसी पर्सपेक्टिव इन टीचर एजुकेशन : क्रिटीक एण्ड डॉक्यूमेंटेशन,* एन.सी.टी.ई., नयी दिल्ली

एन.सी.ई.आर.टी., 2006, *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005*, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

एन.सी.ई.आर.टी., शिक्षक शिक्षा : नयी दृष्टि, *भारतीय आधुनिक शिक्षा,* अंक-3, वर्ष-30, नयी दिल्ली, जनवरी 2010

अरोड़ा, रंजना एवं राजरानी, शिक्षा का मौलिक अधिकार : कुछ मुद्दे और कुछ चुनौतियाँ, *भारतीय आधुनिक शिक्षा,* अंक-1, वर्ष-31, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली, जुलाई, 2010

http://www.soicc.state.nc.us/soicc/planning/skillsjob.htm